

अनुराधा मित्रा
सचिव
ANURADHA MITRA
Secretary



भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अ.शा. सं. 16/24/2018-रा.भा. (सेवा)

दिनांक: 27 सितम्बर, 2019

प्रिय सचिव जी,

आपको विदित होगा कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2008-आईसी दिनांक 24 फरवरी, 2008 द्वारा यह आदेश किया था कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के पदों का पदनाम और वेतनमान वही होगा जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का है। इसके अनुपालन हेतु राजभाषा विभाग के पूर्व सचिवों ने भी आपको विगत में अर्ध शासकीय पत्र लिखे हैं। राजभाषा विभाग ने आदेश सं. 16/24/2018-रा.भा. (सेवा) दिनांक 11.02.2019 द्वारा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक पदों का नामकरण क्रमशः कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में किया है।

मैं आपकी अति आभारी रहूंगी यदि आप अपने मंत्रालय/विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों के पदनाम को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पदनाम के समान करने के व्यय विभाग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करेंगे तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

सादर,

भवदीया,

अ. मित्रा
(अनुराधा मित्रा)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।